संस्कृति एवं पर्यटन में प्रमाण–पत्र	कार्यक्रम कोड : सीसीटी
Certificate in Culture and Tourism	**Programme Code: CCT**

उद्देश्य (Objectives) :

- संस्कृति व पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर।
- पर्यटन, इतिहास, कला एवं संस्कृति स्तरों पर कार्यरत कार्मिकों तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को शिक्षा व प्रशिक्षण।
- पर्यटन सेवाओं के आयोजन के विषय में बुनियादी तथा विशेषीकृत प्रशिक्षण का समावेश।
- भारतीय तथा राजस्थानी संस्कृति व परम्पराओं के क्षेत्र में जीविका आधारित पाठ्यक्रमों का समायोजन।
- भारतीय तथा राजस्थानी सांस्कृतिक विरासतों तथा पर्यटन के विषय में चेतना का सृजन।
- आत्म–उद्यमी वृत्ति को प्रोत्साहन।
- गाईड, एस्कोर्ट्स एवं ट्रेवल एजेन्टों को प्रोत्साहन।

प्रवेश योग्यता (Admission Eligibility) :

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकण्डरी अथवा वर्धमान महावीरखुला विश्वविद्यालय कोटा से बी.ए.पी./बी.सी.पी.

अवधि (Duration) : न्यूनतम 6 माह ; अधिकतम दो वर्ष

माध्यम (Medium) : पाठय सामग्री केवल हिन्दी में उपलब्ध

श्रेयांक (Credit) : 18

शुल्क (Fee) : रूपये 2000/– (रूपये दो हजार मात्र)

कार्यक्रम संरचना (Programme Structure) : इस कार्यक्रम में निम्नांकित तीन पाठ्यक्रम हैं :

क्र.सं. (S.No.)	पाठ्यक्रम का नाम (Name of Course)	पाठ्यक्रम कोड (Course Code)	श्रेयांक (Credit)
1.	पर्यटन में आधार पाठ्यक्रम	सीसीटी–01	6
2.	राजस्थान के निवासियों की परम्पराओं एवं संस्कृति की एक रूपरेखा	सीसीटी–02	6
3.	सर्वेक्षण रिपोर्ट	सीसीटी–03	6

परीक्षा पद्धति (Examination Pattern) :

न्यूनतम अवधि समाप्त होने के बाद विद्यार्थी को लिखित सत्रांत (मुख्य) परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम की सत्रांत (मुख्य) परीक्षा 100 अंकों की होगी एवं प्रत्येक पाठ्यक्रम तीन घण्टे का होगा। उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में कम से कम 36 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। पाठ्यक्रम सीसीटी–03 में सर्वेक्षण रिपोर्ट विद्यार्थी को अपने क्षेत्र के किसी भी सांस्कृतिक/पर्यटकीय/ऐतिहासिक स्थल या पक्ष का सर्वेक्षण कर (लगभग 4000 शब्दों में होनी चाहिए जिसमें नक्शा, चार्ट व फोटोग्राफ आदि का यथास्थान समावेश हो) परीक्षा नियत्रंक को ए–4 साईज के कागज पर कम्प्यूटर टाईप करवाकर व्यक्तिशः या पंजीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत करनी होगी। विद्यार्थी इस बारे में अधिक जानकारी के लिए परामर्शदाताओं, निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र व विषय के विभागाध्यक्ष से सम्पर्क कर सकता है।

सफल विद्यार्थियों को निम्नानुसार श्रेणी प्रदान की जाएगी –

प्रथम श्रेणी	–	60 प्रतिशत एवं अधिक
द्वितीय श्रेणी	–	48 प्रतिशत या अधिक एवं 60 प्रतिशत से कम
उत्तीर्ण	–	36 प्रतिशत या अधिक एवं 48 प्रतिशत से कम